राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 557, 558, 559, 560, 561 व 562/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स सिपला लिमिटेड, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम (1) उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

11/4/2014

अपीलार्थी द्वारा ये छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 376(ए), 372, 373, 374, 375 व 376/RVAT/स्थगन/APP-III/13–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 03.04.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरणों में अवशेष वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 22.01.2014 को सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में Nicotex एवं Nicogum को औषधि के रूप में 4/5 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–जयपुर, जोन–तृतीय (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उक्त वस्तुओं में निकोटिन का सम्मिश्रण होने से इन्हें तम्बाकू उत्पाद मानते हुए, राज्य सरकार द्वारा तम्बाकू पर, आलौच्य अवधियों में निर्धारित कर देयता अनुसार, 8.5, 15, 16, 35, 45, व 60 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज व करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 5.3.2014 से किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	वर्ष	विवादित बिक्री	आरोपित अन्तर कर	ब्याज u/s-55	शास्ति u/s-61	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4	5	6	7
557/14	2008–09	9,21,676	78,342	51,706	1,56,684	1,22,214
558/14	2009–10	20,28,277	2,89,944	1,56,570	5,79,888	4,17,520
559/14	2010–11	32,43,705	5,22,982	2,19,652	10,45,964	6,87,336
560/14	2011–12	45,66,893	15,99,021	4,79,706	31,98,042	19,18,825
561/14	2012–13	65,36,720	29,96,599	5,39,388	59,93,198	32,36,327
562/14	2013–14	86,56,478	51,93,887	3,63,572	1,03,87,774	50,38,071

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 557, 558, 559, 560, 561 व 562/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स सिपला लिमिटेड, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम (1) उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/4/2014	अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों में अपीलीय अधिकारी ने संयुक्तादेश दिनांक 3.4.2014 पारित करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार करते हुए, कर व ब्याज की अवशेष राशि पर स्थगन स्वीकार नहीं किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त तालिका के कॉलम संख्या–7 में वर्णित राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा तथा राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित/बिक्रीत उत्पाद **'निकोटेक्स व निकोगम'** तम्बाकू व गुटखा की आदत को छुड़ाने हेतु औषधि के रूप में उपयोग में किये जाते हैं, जो कि मेडिकल की दुकानों पर अधिकृत चिकित्सक के लिखे जाने पर ही ली जा सकती है। उक्त उत्पादों का निर्माण ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, अतः उक्त वस्तुऐं ड्रग्स ही मानी जा सकती हैं, तथा राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स पर निर्धारित कर दर अनुसार ही विक्रय की जा रही हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के उक्त वस्तुओं को तम्बाकू की पत्तियों से निर्मित होना मानते हुए तदनुसार करारोपण व ब्याज आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा समस्त संव्यवहार का इंद्राज अपनी लेखा–पुस्तकों में किया हुआ है, अतः धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति भी अविधिक रूप से आरोपित की गई है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **1 एस.टी.टी. 196 (आर.टी.टी.); (2007) 19 टैक्स अपडेट 97 (राजस्थान); 73 एस.टी.सी. 346 (एस.सी.); 121 एस.टी.सी. 102 (राजस्थान); 104 एस.टी.सी. 182 (कर्नाटक); 111 एस.टी.सी. 44 (केरला); 119 एस.टी.सी. 37 (मध्यप्रदेश); 154 एस.टी.सी. 328 (एस.सी.); 104 एस.टी.सी. 164 (एस.सी.); 118 एस. टी.सी. 19 (एस.सी.); 22 टैक्स वर्ल्ड 411 (रा.कं.बो.) एवं 21 एस.टी.सी. 124 (इलाहाबाद)** उद्धरित करते हुए अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया है। **लगातार.....3**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 557, 558, 559, 560, 561 व 562/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स सिपला लिमिटेड, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम (1) उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/4/2014	प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा निर्मित/बिक्रीत उत्पाद तम्बाकू व गुटखा की आदत को छुड़ाने में मदद करते हैं, न कि किसी बीमारी के उपचार में उपयोग में लिये जाते हैं। उक्त उत्पाद मेडिकल की दुकान पर बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के भी मिल जाती है तथा मेडिकल की दुकान के अलावा, सामान्य जनरल व प्रोविजन स्टोर पर भी मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क उचित नहीं है कि उक्त उत्पाद केवल डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही मिलते हैं तथा औषधि के रूप में उपयोग में लिये जाते हैं। अग्रिम कथन किया कि विवादित उत्पाद से निकोटिन होता है, जो कि तम्बाकू में पाया जाता है, अतः इस पर तम्बाकू के लिये निर्धारित कर दर अनुसार ही करारोपण किया जा सकता है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन के उपरान्त प्रकरणों में आरोपित अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है, अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सभी छः स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरणों में शेष वसूली योग्य मांग राशि क्रमशः **रूपये 1,22,214/–, रूपये 4,17,520/–, रूपये 6,87,336/–, रूपये 19,18,825/–, रूपये 32,36,327/– व रूपये 50,38,071/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। अपीलार्थी की अपीलों का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **(सुनील शर्मा)** **सदस्य** **(जे. आर. लोहिया)** **सदस्य** 11/4/14	